न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 20 / 2020
रजिस्ट्रेशन नं. :2020 / 00021

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री भीमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहनसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित मालिक विक्रेता मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार सदर बाजार मु.पो भुंगडा तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा स्थायी पता – मोहल्ला हस्तीनापुर, गॉव कानोडिया पुरोहिताना, पो.दैसु, तहसील बालोतर जिला जोधपुर

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	श्री भीमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहनसिंह राजपुरोहित

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 08.07.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 02–06–2020 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 10–08–2019 को 11.30 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार सदर बाजार मु.पो भुंगडा तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री भीमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह राजपुरोहित** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान में एल्युमिनियम की ट्रे में करीब 5 कि.ग्रा. कलाकन्द आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर ट्रे में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये करीब 5 कि.ग्रा. कलाकन्द में से विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त कलाकन्द 2 कि.ग्रा. साफ, सूखी एवं खाली स्टील की ट्रे में जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी किमत 600 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन–2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा दो कि.ग्रा. कलाकन्द को चार साफ, सुखे व खाली कॉच के जारो में भरकर फार्मलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर जारो का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 266 दिनांक 18.10.2019 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 389 दिनांक 25.09.2019 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया कलाकन्द (लूज) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZZ)(iV) के तहत अनसेफ होना पाया गया।

फर्म के मालिक श्री भीमसिंह राजपुरोहित खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध नमूने का द्वितीय भाग जाँच हेतु अपील अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के समक्ष प्रस्तुत की अपील पर कार्यवाही करते हुए नमुने का द्वितीय भाग निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पूना को पुनः जाँच हेतु भेजा गया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक 31 दिनांक 20.02.2020 द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पूना से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/578/19/1314/2019 दिनांक 24.12.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ कलाकन्द सब स्टण्डर्ड पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टण्डर्ड खाद्य पदार्थ कलाकन्द विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया। ।

प्रकरण दिनांक 03-06-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 08.07.2020 को अभियुक्त **श्री भीमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित मालिक विक्रेता मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार सदर बाजार मु.पो भुंगडा तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 266 दिनांक 18.10.2019 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 389 दिनांक 25.09.2019 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया कलाकन्द (लूज) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZZ) (iV) के तहत अनसेफ होना पाया गया। तथा प्रार्थी द्वारा अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के समक्ष प्रस्तुत की अपील पेश करने पर निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पूना से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/578/19/1314/2019 दिनांक 24.12.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ कलाकन्द सब स्टण्डर्ड पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति मे अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पूना से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट न. RFL/DO/578/19/1314/2019 दिनांक 24.12.2019 के अनुसार सब स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ कलाकन्द का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री भीमसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित मालिक विक्रेता मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार सदर बाजार मु.पो भुंगडा तहसील घाटोल, जिला बॉसवाडा** को रूपये 15000/- (अक्षरे रू. पंद्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

8/7/2020

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.07.13 16:08:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: